>

Title: Need to amend the Motor Vehicles Act to provide assistance to the victims of road accidents within the seven days of occurrence of accident.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) : राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रतिदिन बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए समुचे राष्ट्र में यह एक चिंता का विषय हो गया है। प्रतिदिन मोटर वाहनों की बढ़ती संख्या, उनकी बढ़ती स्पीड, अकुशल वाहन चालकों द्वारा वाहन चलाना, वाहन चलाते हुए मोबाईल पर बातें करते रहना, शराब पीकर वाहन चलाना, यातायात मार्ग निर्देशों की कमी, गलत तरीके से ओवरटेकिंग किए जाने के कारण पैदल यात्रियों की गलतियों के कारण तथा वाहन चालक की लापरवाही ऐसे प्रमुख कारण रहे हैं जिनसे राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। सरकारी स्तर पर जो प्रयास किए गए हें वो नाकाफी हैं। मेरे द्वारा पूछे गये लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 984 दिनांक 28.11.2011 में दिये गये उत्तर में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने जवाब में यह आंकड़े उपलब्ध करवाये थे कि देश में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों पर रोड़ दुर्घटनाओं की संख्या 2007 में 138922 थी जो 2009 में बढ़कर 142511 हो गई तथा वर्ष 2007 में रोड़ एक्सीडेंट के कारण जिन नागरिकों की मौते हुए उनकी संख्या 40612 थी जो 2009 में बढ़कर 45222 हो गई। इसके अतिरिक्त सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने यह भी बताया कि राज्य राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं की संख्या वर्ष 2007 में 479216 जो वर्ष 2009 में बढ़कर 486384 हो गई इसी तरह राज्य राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं के कारण मौत के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी हुई है वर्ष 2007 में 114444 मौते हुई तो वर्ष 2009 में बढ़कर 125660 हो गई। यह जो आंकड़े हैं वो वर्ष 2009 तक के हैं वतमान में वर्ष 2012 चल रहा है और मेरा ऐसा मानना है कि इन आंकड़ों में और बढ़ोतरी हुई है। निरन्तर सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी का ग्राफ चिंता का विषय है। अतः सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय से यह मांग है कि सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले व्यक्तियों के लिए पृथक से कोई बीमा कवर सुनिश्चित किया जावे जिससे एपीएल व बीपीएल का भेद नहीं हो। बीपीएल को वर्तमान नियमों के अनुसार पृथक से सहायता दी जा सकती है तथा मोटर वाहन अधिनियम में आवश्यक संशोधन करके दुर्घटना के सात दिनों के भीतर भीतर अग्रिम में सहायता राशि भुगतान की व्यवस्था की जावे जिससे पीड़ित परिवार को समय पर राहत मिल सके।